न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीः–

देवकरण पुत्र चन्द्राराम जाति कुमावत निवासी ग्राम मीठड़ी तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. अमरचन्द पुत्र हणमान जाति कुम्हार
2. कुननराम पुत्र देवादेवी जाति कुम्हार
3. कानाराम पुत्र हणमानराम जाति कुम्हार
4. किशनीदेवी पुत्री भंवरीदेवी जाति कुम्हार
5. चौथीदेवी पुत्री देवादेवी जाति कुम्हार
6. धन्नाराम पुत्र भंवरीदेवी जाति कुम्हार
7. धापूदेवी पुत्री बालूराम जाति कुम्हार
8. नन्दाराम पुत्र हीराम जाति कुम्हार
9. नारायणीदेवी पुत्री देवादेवी जाति कुम्हार
10. परमजीत पुत्र हीरा जाति कुम्हार
11. पोकरराम पुत्र भंवरीदेवी जाति कुम्हार
12. ब्रहमा देवी पुत्री हीराराम जाति कुम्हार
13. बिरंदीदेवी पत्नि हीराराम जाति कुम्हार
14. भंवरलाल पुत्र हीरा जाति कुम्हार
15. मदनदेवी पुत्री हीरा जाति कुम्हार
16. मूलाराम पुत्र भंवरीदेवी जाति कुम्हार
17. मांगुराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार
18. मोरीदेवी पुत्री बालूराम जाति कुम्हार
19. रामेश्वरराम पुत्र देवादेवी जाति कुम्हार
20. लक्ष्मणराम पुत्र देवादेवी जाति कुम्हार
21. सोनादेवी पुत्री देवादेवी जाति कुम्हार
22. सोहनीदेवी पुत्री भंवरीदेवी जाति कुम्हार सभी प्रतिवादीगण बालिक एवं निवासीयान ग्राम मीठडी तहसील नावां।
23. मैनेजर जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा मीठड़ी।
24. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां (भूमिधारी) तहसील नावां।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:47:39 IST
Reason: SelfAttested

दावा वास्ते हस्तकरा[illegible]–विभाजन

अन्तर्गत धारा 88,53 [illegible] टी.एक्ट

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपस्थित :– श्री राजेश कुमावत अधिवक्ता वादी
मुकदमा नम्बरः 251/2022

निर्णय दिनांकः– 19.01.2024

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम कनोज नगर पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1187 रकबा 6.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 1188 रकबा 8.23 हैक्टर कुल रकबा 14.33 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि में वादी के हक हिस्से की मुताबिक जमाबंदी अनुसार 1/2 हिस्सा की भूमि का काबिज खातेदार काश्तकार है जिसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उपरोक्त खसरान की भूमि का वादी व प्रतिवादी द्वारा आपसी सहमति से काफी वर्षो से भौतिक बंटवारा कर रखा है एवं सींव बाड डोल लगाकर अलग अलग काबिज चले आ रहे है। वादी अपने हक हिस्से की कब्जा शुदा भूमि पर निर्विवाद रूप से कब्जा शुदा खातेदारी भूमि पर काबिज चला आ रहा है। अपने हक व हिस्से की भूमि में खाद आदि डालकर काफी अव्वल एवं उपजाउ बनाया है। वादी उपरोक्त भूमि में से अपने बंट व अपने हक हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स भू–विभाजन कराकर सेपरेट हॉल्डिंग दर्ज कराने का हकदार है इसलिए भू–विभाजन का वाद पत्र पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 22 सहखातेदार होने से आवश्यक पक्षकार है। राजस्व ग्राम कनोज नगर पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1187 रकबा 6.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 1188 रकबा 8.23 हैक्टर कुल रकबा 14.33 हैक्टर भूमि में वादी के हक हिस्से की मुताबिक जमाबंदी अनुसार 1/2 हिस्सा अर्थात् 7.165 हैक्टर भूमि पर काबिज खातेदार कृषक है वादी के हक हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स काबिज अनुसार भू–विभाजन कर सेपरेट हॉल्डिंग कायम की जाकर इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम की डिक्री फरमाने की इस्तदुआ की।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 23 के सम्मन अखबार दैनिक नवज्योति दिनांक 28 सितम्बर 2023 में प्रकाशित करवाये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 24 का तामील शुदा सम्मन प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी देवकरण, पी.डब्ल्यू. 2 गवाह जगदीश प्रसाद, पी.डब्ल्यू.3 गवाह राजकुमार के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। ओर साक्ष्य वादी पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु सहमत होने पर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार नावां से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार नावां बंटवारा प्रस्ताव पेश किया।

अधिवक्ता वादी की अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर [illegible] किया गया। बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:47:39 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्व ग्राम कनोज नगर पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1187 रकबा 6.10 हैक्टर, खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

1188 रकबा 8.23 हैक्टर कुल रकबा 14.33 हैक्टर भूमि में वादी की भूमि का मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि अनुसार भू-विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम कनोज नगर पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1187 रकबा 6.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 1188 रकबा 8.23 हैक्टर कुल रकबा 14.33 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू-विभाजन किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खातेदारों का रहन संबंधित बैंक में यथावत रहेगा। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.01.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:47:39 IST
Reason: SelfAttested

अदालतः— उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.
अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादीः—

देवकरण पुत्र चन्द्राराम जाति कुमावत निवासी ग्राम मीठड़ी तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. अमरचन्द पुत्र हणमान जाति कुम्हार
2. कुननराम पुत्र देवादेवी जाति कुम्हार
3. कानाराम पुत्र हणमानराम जाति कुम्हार
4. किशनीदेवी पुत्री भंवरीदेवी जाति कुम्हार
5. चौथीदेवी पुत्री देवादेवी जाति कुम्हार
6. धन्नाराम पुत्र भंवरीदेवी जाति कुम्हार
7. धापूदेवी पुत्री बालूराम जाति कुम्हार
8. नन्दाराम पुत्र हीराम जाति कुम्हार
9. नारायणीदेवी पुत्री देवादेवी जाति कुम्हार
10. परमजीत पुत्र हीरा जाति कुम्हार
11. पोकरराम पुत्र भंवरीदेवी जाति कुम्हार
12. ब्रहमा देवी पुत्री हीराराम जाति कुम्हार
13. बिरदीदेवी पत्नि हीराराम जाति कुम्हार
14. भंवरलाल पुत्र हीरा जाति कुम्हार
15. मदनदेवी पुत्री हीरा जाति कुम्हार
16. मूलाराम पुत्र भंवरीदेवी जाति कुम्हार
17. मांगुराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार
18. मोरीदेवी पुत्री बालूराम जाति कुम्हार
19. रामेश्वरराम पुत्र देवादेवी जाति कुम्हार
20. लक्ष्मणराम पुत्र देवादेवी जाति कुम्हार
21. सोनादेवी पुत्री देवादेवी जाति कुम्हार
22. सोहनीदेवी पुत्री भंवरीदेवी जाति कुम्हार सभी प्रतिवादीगण बालिक एवं निवासीयान ग्राम मीठडी तहसील नावां।
23. मैनेजर जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा मीठड़ी।
24. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार नावां (भूमिधारी) तहसील नावां।

मुकदमां नम्बर :— 251/2022 निर्णय दिनांक :— 19.01.2024

Signature Not Verified
Digitally Signed by Viswamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:47:39 IST
Reason: SelfAttested

इनफिसाल कतई रूबरू..... बहाजरी श्री राजेश ... अधिवक्ता वादी को डिक्री दी जाती हैं कि :—

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम कनोज नगर पटवार हल्का मीठड़ी तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1187 रकबा 6.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 1188 रकबा 8.23 हैक्टर कुल रकबा 14.33 हैक्टर भूमि में मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव में अंकित भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर भू–विभाजन किया जाता हैं। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में अंकन करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। बंटवारा प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खातेदारों का रहन संबंधित बैंक में यथावत रहेगा।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24.01.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी, नावां

उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:47:39 IST
Reason: SelfAttested